No.14/34/2015-DGAD
Government of India
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
New Delhi

Dated the 24th February, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from Thailand

No.14/34/2015-DGAD: M/s Manali Petrochemicals Ltd., has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Thailand (hereinafter referred to as the subject country).

And whereas, the Authority finds prima facie that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & 'Standing'

2. The Application has been filed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd on behalf of the domestic industry. As claimed by M/s. Manali Petrochemicals Ltd, they accounts for more than 95% of the total production of the product under consideration and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol, a polymer, originating in or exported from the subject countries. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible slabstock polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter referred to as the "subject goods" from Thailand.

It is classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 3907.20 as per International Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

4. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Countries involved

5. The country involved in the present investigation is Thailand.

Normal Value

6. **Normal Value for Thailand:** The applicant has constructed the normal values in respect of Thailand stating that neither they were able to get any documentary evidence nor reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in Thailand nor the same are available in the public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in Thailand on the basis of constructed values as made available by the applicants for the purpose of this initiation.

Export Price

7. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from EximNet BBS. Price adjustments have been allowed on account of Ocean freight, marine insurance, inland transportation, commission, port handling and port charges etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Dumping Margin

8. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows prima facie significant dumping margin in respect of Thailand. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in Thailand are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from Thailand. The dumping margin estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

9. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and decline in profitability, return on capital employed, cash flow, market share, production, capacity utilization etc. of the domestic industry. There is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

10. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2014 to 30th September 2015 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014, April 2014 to March-2015 and the period of investigation (POI) has been considered.

Submission of information

11. The known exporters in Thailand and Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

Time limit

12. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

13. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either

unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

14. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

15. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

(A K Bhalla)
Additional Secretary and Designated Authority

सं. 14/34/2015 - डीजीएडी
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

.-.-.-.-.-.-.-.-.

दिनांक: **24** फरवरी, 2016

जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना

विषय : **थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टोक पोलियोल" के आयातों पर पाटन-रोघी शुल्क लगाने के लिए जांच शुरू करना ।**

संख्या 14/34/2015 - डीजीएडी : मेसर्ज पेट्रोकेमिकल्स लिमिटिड ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके, उनसे थाईलैंड (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टोक पोलियोल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के आयातों पर पाटन-रोघी शुल्क लगाने की जांच शुरू करने का अनुरोध किया है ।

और यत: प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने तथा उनसे घरेलू उद्योग को "क्षति" होने तथा कथित पाटन और "क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध होने के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण पाते हैं और उनके आधार पर प्राधिकारी, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 (1) के अनुसार कथित पाटन होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करते हैं, ताकि नियमावली के अनुसार आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटन-शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

घरेलू उद्योग और "आधार"

2. आवेदन पत्र घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्ज पेट्रोकेमिकल्स लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि मेसर्ज पेट्रोकेमिकल्स लिमिटिड द्वारा दावा किया गया है, विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में उसका अंशदान 95% से भी अधिक बनता है और इसलिए वह नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है और आवेदन पत्र उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार आधार के मानदंड को संतोषजनक ढंग से पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पादन

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, संबद्ध देश के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबटॉक पोलियोल", एक पोलिमर है। संबद्ध उत्पाद 3000-4000 भार वाला मोलेक्यूलर का एक स्पष्ट विस्कोस तरल तदार्थ है, जो कि ट्रॉयल चेन स्ट्राटर युक्त प्रोपीलीन ऑक्साईड और अथिलीन के पोलिमेराईजेशन से निर्मित किया जाता है। यह एक पोलिथर है और केलेलिस्ट्स और ऐडिटिव्स के प्रत्याक्रमण से पोलियुरेथीन विनिर्मित होता है, जिसका उपयोग कमरे के साज-समान, गद्दों, तकियों, मसनदों, परिवहन की गद्दियों और पैकेजिंग में किया जाता है। फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक् पोलियोल को टेंकरों में ढोया जाता है अथवा स्टील ड्रमों मे रखा जाता है (जिसे आगे थाईलैंड से संबद्ध वस्तुएं कहा गया है)। इसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं" श्रेणी के अंतर्गत और इसके अतिरिक्त इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 3907.20 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

4. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के समान हैं। तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंत-प्रयोगों के रूप में पाटित आयातों की वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू रूप से निर्मित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती हैं और इसलिए इन्हें पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रहीं "समान वस्तु" के समान माना जा रहा है।

शामिल देश

5. वर्तमान जांच में शामिल देश थाईलैंड है।

सामान्य मूल्य

6. **थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य** : आवेदक ने थाईलैंड के संबंध में सामान्य मूल्य संरचित करते हुए यह कहा है कि वह थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू कीमत के बारे में न कोई दस्तावेजी प्रमाण और न ही कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त कर सका है और न ही ऐसी सूचना सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में उपलब्ध है। प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत करने के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए संरचित मूल्यों के आधार पर थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है।

निर्यात कीमत

7. आवेदक ने एक्जिम नेट बीबीएस से प्राप्त किए गए आंकडों के आधार पर निर्यात कीमतों का दावा किया है। इनमें समुद्री भाडे, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, कमीशन, पत्तन प्रबंधन और पत्तन प्रभारों आदि के लिए किए जाने वाले कीमत समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमतों के ऐसे पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं, जिनसे पाटन-रोधी जांच की शुरूआत यथोचित सिद्ध होती है।

पाटन मार्जिन

8. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना, कारखाना-गत स्तर पर की गई है जिससे थाईलैंड के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन के प्रथम दृष्टया प्रमाण का पता चलता है । ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण विद्यमान हैं, जिनसे ऐसा पता चलता है कि थाईलैंड में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, फैक्टरी-गत निर्यात कीमत से बहुत अधिक है, जिनसे प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है कि थाईलैंड से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं। ऐसा पाटन मार्जिन, न्यूनतम से अधिक होने का अनुमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

9. आवेदक ने पाटित आयातों के बडी हुई मात्रा से घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत के न्यूनीकरण और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह, बाजार हिस्से, उत्पादन, क्षमता उपयोग में गिरावट आने आदि के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" के बारे में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" के पर्याप्त प्रमाण विद्यमान है, जिनसे यह सिद्ध होता है पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करना यथोचित है।

जांच की अवधि

10. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अकटूबर, 2014 से 30 सितंबर, 2015 (12 महीने) तक है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013, अप्रैल, 203 से मार्च, 2014 और अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तथा जांच अवधि के आंकडों पर विचार किया गया है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

11. थाईलैंड में ज्ञात निर्यातकों को और भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार को, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को तथा घरेलू उद्योग को अलग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे संबद्ध सूचना को निर्धारित प्रपत्र में और यथा निर्धारित तरीके से प्राधिकारी को उनके निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबद्ध अपने अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

<u>समय सीमा</u>

12. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई के लिए कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40 दिन) दिनों से पूर्व उपयुक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटन-रोधी नियमों के अंतर्गत रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

<u>अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय सूचना के लिए पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 (1) तथा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार गोपनीय और अगोपनीय वृतांत के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने होंगे । गोपनीय सूचना के अगोपनीय वृतांत अथवा गोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझा जा सके । तथापि, अपवादित परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह संकेत दे सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इस आशय के कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है ।

उपरोक्त पैरा में निहित किसी भी व्यवस्था के बावजूद यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा वह सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने का प्राधिकार देने का इच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

<u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

14. नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

<u>असहयोग</u>

15. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा जैसा वे उचित समझते हैं, केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(ए. के. भल्ला)
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी